कितनी राजनीतिक और सामाजिक कांशसनेस हो गई हैं, लेकिन उनको कोई भी सुविधा नहीं है। अगर कहीं पर किसी अफसर से उनको कोई सुविधा देने को कहा भी जाये तो वह उसको देने के लिये तैयार नहीं है। 52 फी सदी आबादी महिलाओं की है लेकिन उनके लिये सुविधाओं का कोई प्रबन्ध नहीं हो रहा है। जब भी मेल ट्रेन में महिलाओं के बैठने की बात होती है तो केवल एक डिब्बा उनके लिये रिजर्व होता है। मैं इस बात के लिये मना नहीं कर सकती कि दूसरों के लिये ज्यादा डिब्बे क्यों रक्खे जायें, मैं कोई सेपरेटिस्ट टेंडेंसी नहीं फैलाना चाहती, लेकिन मैं समझती हूं कि आप अपने आप इस बात के लिये तैयार होंगे कि महिलाओं, की सुविधाओं और उनके हकों का ख्याल किया जायेगा। हम देखते हैं कि महिलाओं को आज रेलों में इतनी कठिनाई होती है लेकिन आप उनके साथ सहानुभूति नहीं करते। वे अपने बच्चों के माथे का पसीना अपनी साड़ी के आंचल से पोंछती रहती हैं और पानी के बिना उनके ओंठ सूखते रहते हैं लेकिन किसी भी स्टेशन पर, विशेषकर छोटे स्टेशनों पर एक आदमी से अधिक पानी पिलाने के लिये नहीं रक्खा जाता। एक आदमी पूरी की पूरी गाड़ी को किसी तरह से भी कवर नहीं कर सकता है। उनके लिये कम से कम पानी की सुविधा देना बहुत ही आवश्यक है। मैं कहना चाहती हूं कि रेलवे विभाग का केवल यह कार्य नहीं है कि यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दे। उस की कुछ सामाजिक जिम्मेवारियां भी हैं, कुछ सोशल आब्लिगेशन्स भी हैं जिनको उसे पूरा करना चाहिये।

अन्त में मैं अपने क्षेत्र के बारे में दो एक बातें कहना चाहती हूं। जब श्री लाल बहादुर शास्त्री रेलवे मंत्री थे तब एक बार उन्हें बरेली जाने का इत्तफाक हुआ था। वहां पर लकड़ी का एक पुल बना हुआ है। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है जिसका ठिकाना नहीं है। रेलवे की एक टीम गई थी। उसने उसकी एन्क्वायरी की। लेकिन मैं नहीं जानती कि बाद में उस एन्क्वायरी का क्या हुआ। माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि उसकी एन्क्वायरी करवा कर उस काम की पूर्ति करें।

साथ ही साथ मेरा यह भी निवेदन है कि दिल्ली से लखनऊ तक जाने वाली एक जनता एक्सप्रेस और चलाई जानी चाहिये जिसमें केवल थर्ड क्लास हों। आज कल जो गाड़ियां जाती हैं वह काफी ओवरलोडेड होती हैं और हम देखते हैं कि उनमें लोगों को काफी परेशानी होती है। इसी तरह से मेरठ से लखनऊ तक जाने वाली एक दूसरी गाड़ी भी होनी चाहिए। काफी पैसेंजर इधर से लखनऊ जाने वाले होते हैं और उनको बिना रेल के काफी कष्ट होता है। एक ट्रेन लखनऊ से आगरा और आगरा से लखनऊ तक होनी चाहिए। इस रास्ते पर बड़े बड़े जिले हैं और वहां के यात्रियों के आने जाने के लिये खास इन्तजाम होना चाहिये।

अन्त में मैं आपको धन्यवाद देते हुए कहना चाहती हूं कि रेलवे मंत्रालय टैक्स बढ़ाता है तो बढ़ाये लेकिन उसको बढ़ाने के पहले जनता की सुविधा का ख्याल करे। जब तक विभाग उनको सुविधा देने का प्रयत्न नहीं करता तब तक टैक्सेशन की चीजें लाना न्याय नहीं है।

---

18 hrs.

PERSONAL EXPLANATION UNDER RULE 357 RE. CERTAIN ALLEGATIONS

The Minister Without Portfolio (Shri Satya Narayan Sinha): Sir, I was not

[Shri Satya Narayan Sinha]

present in the House this morning when the calling-attention notice was being answered. One hon. Member, Shri S. M. Banerjee, said that I was the Chairman or Vice-Chairman of some trust of Birlas and was getting some honorarium from them. This is not correct. I am only a trustee of two of the Birla Education Trusts, one at Pilani and the other at Ranchi, which are not business institutions. I succeeded the late Dr. Rajendra Prasad as a trustee in the Pilani Trust when he became the President of India. I have hardly attended four or five meetings during the last 15 years. I strongly repudiate any suggestion that I got any remuneration or any kind of allowance for my being a trustee or otherwise.

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): I think, this settles the matter.

Shri S. M. Banerjee *rose*—

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. C. Pant): Sir, I was not present in the House when the Prime Minister made a statement this morning in response to a call-attention notice. But I find from the proceedings that my hon. friend, Shri S. M. Banerjee made a reference to me by name in the course of his observations.

I happen to be a technically trained person by profession and have counted upon my professional training to earn my living. Before I became a Minister, and I underline before, I was Chairman and Managing Director of a Company with which the Birlas were also associated. My association with this company was professional. As a matter of fact, I was simultaneously working as Technical Director in another firm which had absolutely no connection with the Birla Group. Before taking up my new responsibility as a Minister, I naturally resigned from both the companies. As a matter of fact, I had resigned from one of the companies many months earlier. I should like to make it clear that, apart from my regular remuneration from my jobs, I have not received any money from any other firm, whether honorarium or commission.

Shri S. M. Banerjee *rose*—

Mr. Speaker: The House stands adjourned to meet again at 11 o'clock tomorrow.

18.03 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, May 31, 1967/Jyaistha 10, 1889 (Saka).